

राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2()बजट/अति.आंव./ICDS/18/19.3466-74

जयपुर,दिनांक: 1/11/2018

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
.....

विषय:- अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2018-19 बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आई.सी.डी.एस. सामान्य योजनान्तर्गत निम्न लेखाशीर्ष में अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाता है:-

मांग संख्या-30	मांग संख्या-33
2236- पोषण	2236- पोषण
02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण	02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
196- जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	196- जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(04)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम द्वारा	(02)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम द्वारा
[02]- जिला स्तरीय संस्थापन व्यय जनजाति क्षेत्र उपयोजना (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)	[02]- जिला स्तरीय संस्थापन व्यय (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)

(राशि लाखों में)

क.सं.	नाम कार्यालय	उपमद	बजट मद	पूर्व आवंटन	अति.आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	उनि, डूंगरपुर	36. वाहन किराया	केन्द्रीय सहायता	1.08	0.24	1.32
			राज्य निधि	0.72	0.16	0.88
2	बाडमेर	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	6.25	3.00	9.25
			राज्य निधि	18.75	9.00	27.75
3	चुरु	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	6.25	1.00	7.25
			राज्य निधि	18.75	3.00	21.75
			राज्य निधि-ब	16.50	3.00	19.50
4	सिरोही	04. चिकित्सा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.01	0.04	0.05
			राज्य निधि	0.03	0.12	0.15
		20. वाहन संधारण	केन्द्रीय सहायता	0.24	0.12	0.36
			राज्य निधि	0.16	0.08	0.24
5	टोंक	09. किराया	राज्य निधि-ब	1.20	1.25	2.45
6	दौसा	01. संवेतन	राज्य निधि-ब	20.00	- 7.00	13.00
7	जोधपुर	01. संवेतन	राज्य निधि-ब	20.00	- 3.00	17.00
8	कोटा	01. संवेतन	राज्य निधि-ब	20.00	- 6.00	14.00
9	सिरोही	01. संवेतन	राज्य निधि-ब	6.50	- 2.00	4.50

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।


वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:-एफ-2()बजट/अति.आंव./ICDS/18/193475

प्रतिलिपि:-

एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

जयपुर, दिनांक: 1/11/18


वित्तीय सलाहकार